

प्रमाण—पत्र
(प्रतिरक्षा कर्मचारी एवं उनके पुत्र/पुत्री के लिए प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती एक प्रतिरक्षा
अधिकारी हैं जिनका रैंक है तथा नम्बर है जो कि सक्रिय सेवारत
हैं अथवा सक्रिय सेवारत थे और अपंग हो गये अथवा ससम्मान सक्रिय सेवा से अवकाश प्राप्त किया।
श्री/कु./ श्रीमती इनके पुत्र/पुत्री हैं।

ऑफिसर कमाण्डेण्ट अथवा सेकेटरी सोल्जर्स
बोर्ड के हस्ताक्षर एवं मोहर

दिनांक अधिकारी का पूरा नाम